

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 1734

दिनांक - 24/07/19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चेतनराम पुत्र विरधाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 लाभुराम 2 भारूराम पिसरान हरचंदराम जाति जाट निवासी ताजोणियों की ढाणी 3 रूगनाथराम 4 रूपाराम 5 चैनाराम पिसरान मुकनाराम 6 दमाराम 7 पेमाराम पिसरान नगाराम 8 मूलाराम 9 गोरधनराम 10 गोमाराम पिसरान मुकनाराम 11 कलाराम 12 मगाराम 13 तेजाराम 14 हीराराम पिसरान किस्तुराराम 15 मोटाराम 16 उम्मेदाराम पिसरान किरपाराम 17 सताराम पुत्र हरदानराम 18 मिरगो पत्नी हरदानराम 19 नथू पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 192/2019 दिनांक- 19.07.2019

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 621 रकबा 101.15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 24/07/19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1735 - 38

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. चेतनराम पुत्र विरधाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी (भाड़खा) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी लाभुराम पुत्र हरचंदराम वगैराह जाति जाट निवासी ताजोणियों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर